(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4086–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 593/अपील/2011–12.

1. मायाराम पिता प्रभुलाल
2. दयाराम पिता प्रभुलाल
3. प्रभुलाल पिता नारायण
निवासी ग्राम बंजारी तहसील तराना
जिला उज्जैन म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

चंदाबाई पति मायाराम (पिता शंकरलाल)
निवासी ग्राम बंजारी तहसील तराना
जिला उज्जैन म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री ए.आर.यादव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अमित उपाध्याय, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 28 सितम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 26–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका चंदाबाई ने तहसीलदार तराना के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बंजारी की भूमि सर्वे 339/2 रकबा 0.10, 380/2 रकबा 0.25, 564/2 रकबा 0.40 एवं

ग्राम लिम्बोडा की भूमि 14/1 रकबा 0.50 पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 तराना के आदेश अनुसार बटवारा नामांतरण किया जाये। तहसीलदार ने दिनांक 29–7–11 को प्रकरण कमांक 43/अ–27/2010–11 दर्ज कर विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–12–2011 के द्वारा अनावेदिका का आवेदन विचारण योग्य नहीं होने से निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अपील अनुविभागीय अधिकारी तराना को प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 6–7–2012 के द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त को अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 26–8–2013 के द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त संहिता की धारा 178 के प्रावधानों पर विधिअनुसार विचार नहीं किया और क्षेत्राधिकारविहीन आदेश पारित किया। यह भी तर्क दिया कि फोजदारी न्यायालय को दीवानी न्यायालय बनाकर उनका आदेश मान्य करने में अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने वैधानिक भूल की है जबकि सम्पत्ति का स्वामित्व धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही अंतरित हो सकता है व यदि व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई जयपत्र स्वामित्व के संबंध में घोषणात्मक सहायता का प्रदान की जाती है तो उस स्थिति में ऐसा जयपत्र धारा 17 पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण योग्य है। व्यवहार न्यायालय ही पक्षकारों के स्वत्व का निराकरण कर सकती है व इसके लिये व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 9 में व्यवहार न्यायालय के अधिकारों व क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है धारा 178 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत भी किसी प्रकार के स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर राजस्व न्यायालय द्वारा भी व्यवहार न्यायालय से स्वत्व प्रमाणित कररने के लिए

निर्देश दिये जाते हैं ऐसी स्थिति में फौजदारी न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश दिया भी गया है तो उस आधार पर जब तक कि आदेश का पंजीकरण धारा 17 पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत नहीं हो जाता तब तक उस आदेश पर किसी प्रकार से नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। जिस भूमि पर नामांतरण चाहा गया है वह भूमि जिस व्यक्ति के विरूद्ध भरण पोषण का दावा धारा 125 अपराध विधि संग्रह के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जमीन उसकी नहीं है किन्तु इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने फौजदारी न्यायालय के ऐसे आदेश जिसके द्वारा स्वत्व निर्धारित नहीं किये गए है इसके उपरांत भी आदेश दिये जाने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि फौजदारी न्यायालय द्वारा दिनांक 07–7–11 को जो आदेश पारित किया है उस आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थी मायाराम द्वारा समझोते का पालन नहीं किया जाता है तो वह प्रत्येक माह अनावेदक चन्दाबाई को 2500/– रूपये भरण–पोषण राशि अदा करेगा व अपीलार्थी द्वारा राशि अदा की जा रही है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अनावेदिका चंदाबाई द्वारा जिस भूमि पर आवेदक कमांक 1 से नामांतरण चाहा है वह भूमि आवेदक कमांक 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है बल्कि उक्त भूमि आवेदक कमांक 2 व 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिनका कि आवेदक से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है क्योंकि भरण–पोषण राशि अदायगी की जिम्मेदारी पति की है न कि पति के भाई या पिता की या परिवार के अन्य किसी सदस्य की। इस बिन्दु पर विचार किये बिना एवं आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 07–7–2011 को आवेदक मायाराम द्वारा अनावेदिका पत्नि चंदाबाई व पुत्री

मनीषा को भरण–पोषण राशि की अदायगी स्वरूप स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम बंजारी तहसील तराना स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 330/2 रकबा 0.10 सेर्व कं 380/2 रकबा 0.25 सर्वे कमांक 564/2 रकबा 0.40 एवं ग्राम लिम्बोडा की भूमि 14/1 रकबा 0.50 दिये जाने के संबंध में राजीनामा किया। उक्त राजीनामा दिनांक 7–7–11 को माननीय न्यायिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी तारांना के समक्ष प्रकरण कमांक 231/09 के अंतर्गत सम्पादित हुआ और संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। यह भी तर्क दिया कि चंदाबाई का उक्त कृषि भूमि पर आधिपत्य प्राप्ति व कृषि कार्य करते रहने व पश्चात भूमि के भाव अधिक बड जाने के कारण आवेदक के मन में दुर्भावना आने के कारण उक्त कार्यवाही अनावेदिका के विरूद्ध की जा रही है। उक्त भूमि अनावेदिका चंदाबाई धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिम के अंतर्गत भी प्राप्त करने की अधिकारी है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश है, अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का परिसीलन किया। तहसील न्यायालय में संलग्न अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तराना के प्रकरण कमांक231/2009 में पारित आदेश दिनांक 7–7–2011 की प्रति का अवलोकन किया जिसमें आवेदक मायाराम, दयाराम व प्रभुलाल ने कथन किये है और ग्राम बंजारी की भूमि सर्वे 339/2 रकबा 0.10, 380/2 रकबा 0.25, 564/2 रकबा 0.40 एवं ग्राम लिम्बोडा की भूमि 14/1 रकबा 0.50 इस प्रकार लगभग पांच बीघा भूमि भरणपोषण के रूप में स्वेच्छा से देना अनावेदिका को देना स्वीकार किया। आदेश में दयाराम व प्रभुलाल के कथन भी अंकित किये गये जिसमें उनके द्वारा उक्त भूमि धारा 178–क के तहत देना स्वीकार किया व भूमि का कब्जा भी चन्दाबाई को दे दिया है यह बताया। ऐसी स्थिति में अनावेदिका चंदाबाई को हिन्दु उत्तराधिकार

अधिनियम की धारा 14 के तहत भूमिस्वामी हक प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि आवेदकों द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तराना के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है अतः वह अंतिम हो चुका है। जहां तक आवेदकगण के इस तर्क का प्रश्न है कि भाई एवं पिता से भरण पोषण हेतु भूमि नहीं ली जा सकती है मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तराना के समक्ष दयाराम व प्रभुलाल के कथन अंकित है। इस आधार पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तराना ने प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका चंदाबाई के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। यदि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि देने में कोई आपित्त थी तो वह न्यायालय में उपस्थित होकर कथन अंकित न कराते हुये सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती देना चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित भी हो गया है। स्पष्ट है अनावेदिका को प्रश्नाधीन भूमि भरण–पोषण हेतु सक्षम न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तराना द्वारा प्रदाय की गई है जिसपर अनावेदिका का नाम अंकित करने के आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में न्यायोचित कार्यवाही की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 26–8–13 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर